



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64068

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6011/2026

जिज्ञान

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: तरुण केदार नाथ सिंह, उमेश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश सिंह, राज्य के विद्वान एजीए श्री चंद्रशेखर सरन की दलीलें सुनी गईं और अभिलेखों को देखा गया।
2. आवेदक विशाल उर्फ विकास कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत मौजूदा जमानत अर्जी दायर की गई है, जिसमें उसे मामला अपराध संख्या 0001/2026, उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 2/3 के तहत, जो पुलिस स्टेशन ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ में पंजीकृत है, में मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत इरादे से झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक गिरोह चार्ट में दर्शाए गए उसके विरुद्ध पंजीकृत एक मात्र मामले में जमानत पर है और इसके अतिरिक्त, उसके विरुद्ध कोई अन्य मामला पंजीकृत नहीं है। इसके बाद यह भी कहा गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक 25.01.2026 से कारावास में है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत अर्जी का विरोध किया है।

5. आवेदक गिरोह चार्ट में दर्शाए गए अपने विरुद्ध दर्ज केवल एक मामले में जमानत पर है और इसके अतिरिक्त, उसके विरुद्ध कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। आवेदक, जो 25.01.2026 से कारागार में है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. सभी तथ्यों, प्रकृति और सबूतों को देखकर और मेरिट पर कुछ कहे बिना, जमानत मिल सकती है। इसलिए, यह जमानत आवेदन मंजूर की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक जिज्ञान को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक तय तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा।

8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026

कुमार मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”